भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*268
22 मार्च, 2022 को उत्तर देने के लिए

खाद्य पार्क नीति

***268. श्री हँसमुखभाई एस.पटेल:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य पार्क नीति आरंभ करने/बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने अथवा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) बन चुकी है वर्तमान खाद्य प्रसंस्रकण इकाइयों को अर्जित करने हेतु उद्यमियों को कम दर पर ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) से (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

“खाद्य पार्क नीति" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 22.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) फूड पार्क नीति शुरू/सूत्रबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपी) और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी), जो मिनी फूड पार्क के समान है, योजना कार्यान्वित कर रहा है। सरकार द्वारा चल रही परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता के प्रावधान के साथ दिनांक 01.04. 2021 से एमएफपी योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) जबकि मंत्रालय की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की कोई योजना नहीं है, सरकार ने 2014 में नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और नामित फूड पार्कों में अवसंरचना के विकास के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष स्थापित किया गया है।

*****